संख्या-330/2020/544/22-2-2020-17(183)/2020

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 20 अगस्त, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिनेश कुमार तिवारी पुत्र श्री रामदेव तिवारी, निवासी जनपद-सुल्तानपुर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14751/प्रोबे0-5-दया0 बैठक-20-05-2020 दिनांक 15.06.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी दिनेश कुमार तिवारी पुत्र श्री रामदेव तिवारी, पूरे रामनाथ कुडवार, जनपद-सुल्तानपुर हालपता-रहीमनगर घोसियाना, 35 पी0ए0सी0 के सामने, थाना-महानगर, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बंदी द्वारा दिनांक 19.02.2006 को 01 सहअभियुक्त के साथ मिलकर बंदूक से गोली मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-486/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या-14, लखनऊ के आदेश दिनांक 22.04.2008 द्वारा आजीवन कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 05.02.2020 तक 13 वर्ष 11 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 17 वर्ष 02 माह 11 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा कारित अपराध समाज को व्यापक रूप से प्रभावित करने, आयु लगभग 44 वर्ष होने, भविष्य में अपराध करने में सक्षम होने, रिहा होने पर भविष्य में अपराध करने की पूर्ण संभावना होने के दृष्टिगत समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की है। दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की आयु, कारित अपराध की प्रकृति एवं जिला मजिस्ट्रेट/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी दिनेश कुमार तिवारी (बंदी संख्या-120/17) पुत्र श्री रामदेव तिवारी, निवासी जनपद-लखनऊ की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-330/2020/544(1)/22-2-2020 तद्दिनांक--

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सुल्तानपुर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in